**<u>न्यायालय – न्यायाधीश विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम,2005 प्रतापगढ़(राज.)</u>**

पीठासीन अधिकारी – अमित सहलोत
R.J.S [D.J.Cadre]

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 2/2018
(प्रथम सूचना रिपोर्ट सं 79/2018 थाना पारसोला)

1– कांतिलाल पुत्र चिमनलाल जाति लबाना
निवासी मुंगाणा मोटा टाण्डा थाना पारसोला
जिला प्रतापगढ़ (राज.)

--- प्रार्थी/अभियुक्त

// बनाम //

राजस्थान राज्य सरकार जरिये विशिष्ठ लोक अभियोजक, प्रतापगढ

--- राज्य पक्ष

<u>( प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता )</u>

उपस्थितिः:–

1– श्री सी0पी0सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2– श्री आशुतोष जोशी, विशिष्ठ लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

**<u>( आ दे श )</u>** **<u>दिनांक–21/08/2018</u>**

1. प्रार्थी/ अभियुक्त कांतिलाल की ओर से पुलिस थाना पारसोला की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 79/2018 में जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–439 द.प्र.सं. प्रस्तुत किया गया हैं, जिसकी नकल विद्वान् विशिष्ठ लोक अभियोजक को दिलाई गई। उभय पक्षों की जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी गई। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया हैं कि प्रार्थी/ अभियुक्त निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। प्रार्थी/ अभियुक्त और परिवादी एक ही जाति समाज के होकर परिवादी की पुत्री और वह एक ही विद्यालय में अध्ययन करते थे और उनके बीच बातचीत होती रहती थी और परिवादी को बातचीत पसन्द नही थी, इस कारण दबाव बनाने की नियत से पुलिस से मिलकर रंजिशवश झूठा प्रकरण प्रार्थी/ अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज करा दिया गया है। प्रार्थी/ अभियुक्त ने परिवादी की पुत्री का अपहरण नहीं

किया है । वह गरीब मजदूर पैशा व्यक्ति होकर अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य है। वह न्यायालय के आदेशानुसार जमानत प्रस्तुत करने हेतु तत्पर है। अतः प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का निवेदन किया।

3- विद्वान् विशिष्ठ लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए बहस में निवेदन किया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त पर परिवादी देवीलाल की नाबालिग 15 वर्षीय पुत्री पीडिता का अपहरण करने की नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है और अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/ अभियुक्त के विरूद्ध थानाधिकारी पारसोला की रिपोर्ट के अनुसार धारा 363,366,376 भा.दं.सं के साथ ही धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण नाबालिग पीडिता के साथ दुष्कर्म का होकर अत्यधिक गम्भीर है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया।

4- अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि परिवादी देवीलाल द्वारा थानाधिकारी,पारसोला को दिनांक 27/06/18 को अपनी15 वर्षीय नाबालिग पुत्री पीडिता का प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा अपहरण कर लेने और उसके साथ दुष्कर्म होने की आशंका की दी गई रिपोर्ट पर थाना पारसोला में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 79/2018 दर्ज की जाकर, अनुसंधान किया जा रहा है और अनुसंधान के अनुक्रम में पीडिता के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की आठवी कक्षा के प्रवेश पत्र पर अंकित जन्म दिनांक के अनुसार पीडिता का नाबालिग होना प्रथम दृष्टया प्रकट हुआ है और धारा 164 द.प्र.सं. के अन्तर्गत लेखबद्ध बयान में पीडिता ने प्रार्थी/ अभियुक्त का स्वयं को सावंरियाजी के दर्शन कराने के बहाने ले जाना और बाद में डबोक से फतेहगढ और दरिबा आदि स्थानों पर धमका कर ले जाना और कमरे में बंद कर दुष्कर्म करने बाबत् स्पष्ट कथन किया है। प्रकरण नाबालिग पीडिता को जबरन ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म का होकर अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है और अभी अनुसंधान जारी है। अतः प्रकरण के तथ्यो, परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी/ अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

## :: <u>आदेश</u> ::

5- परिणामतः प्रार्थी/ अभियुक्त कांतिलाल पुत्र चिमनलाल जाति लबाना निवासी मुंगाणा मोटा टाण्डा थाना पारसोला जिला प्रतापगढ़ (राज.) का यह प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(अमित सहलोत)

6- आदेश आज दिनांक-21/08/2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अमित सहलोत)